पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 318/2024

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 12.10.20243

हेमराज मीना, पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु दिनांक- 12.10.2024 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्न कार्यवाहियां की गयी है-

01.थाना रौनापार:- अवैध तमंचा व कारतूस के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार

गिरफ्तारी का विवरण-

अवगत कराना है कि आज दिनांक 12.10.2024 को उ0नि0 विवेक सिंह चौकी प्रभारी महुला मय हमराह द्वारा अभियुक्त विशाल राय पुत्र विजय राय निवासी ग्राम जोकहरा थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ उम्र 22 वर्ष को ग्राम टेकनपुर पुलिया से 100 मीटर पहले समय करीब 01.45 बजे एक अवैध तमंचा व जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 393/24 धारा 3/7/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

02.थाना गंभीरपुर:- आत्महत्या के दुषप्रेरण में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना का संक्षिप्त विवरण-

अवगत कराना है कि दिनांक 12.10.2024 को वादी भरत राम पुत्र स्व.बालदेव राम ग्रा.मंगरावा (असमान पट्टी) थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ द्वारा थाना गंभीरपुर पर लिखित तहरीर दिया कि वादी की लडकी जिसकी शादी लगभग 10 वर्ष पहले राहुल पुत्र रामदास निवासी फिरोजाबाद के साथ हुई थी लेकिन उसकी पुत्री द्वारा अपने पति व बच्चों को छोडकर लगभग 2 वर्ष से विपक्षी नागेन्द्र राम पुत्र रामबृक्ष फैजुल्लाहपुर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ के साथ रहने लगी थी जहाँ किसी बात को लेकर दोनों में आपसी मनमुटाव हो गया जिस कारण विपक्षी नागेन्द्र राम पुत्र रामबृक्ष फैजुल्लाहपुर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ व उसके भाई लखेंदर पुत्र रामबृक्ष फैजुल्लाहपुर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा वादी की पुत्री के साथ मारपीट व गाली गलौज करते हुए प्रताड़ित किया गया जिससे क्षुब्ध होकर पीडिता द्वारा दिनांक 10.10.2024 को आत्महत्या कर लिया गया जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 380/2024 धारा-108 बीएनएस बनाम अभियुक्त 1. नागेन्द्र राम पुत्र रामबृक्ष फैजुल्लाहपुर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़, व अभियुक्त 2. लखेन्द्र राम पुत्र रामबृक्ष राम निवासी फैजुल्लाहपुर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण-

आज दिनांक 12.10.2024 को उ0नि0 विजय शुक्ला मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्तों 1. नागेन्द्र राम पुत्र रामबृक्ष फैजुल्लाहपुर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ व 2. लखेन्द्र राम पुत्र रामबृक्ष राम निवासी फैजुल्लाहपुर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ को समय करीब 11.30 बजे अभियुक्त के घर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

03.थाना- कोतवाली जनपद आजमगढ़: चोरी की घटना में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास–

अवगत कराना है कि दिनांक 08/08/2024 को वादिनी डा0 हुमा खान पुत्री अली अहमद खान मो0 गुलामी का पुरा थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना कोतवाली पर लिखित तहरीर दिया कि दिनांक 07/08/2024 को अज्ञात चोरों द्वारा वादिनी के घर से एक L.C.D T.V. , एक कलर टीवी , एक वी.सी. आर व किचन में रखे हुये तीन सिलेण्डर, किचन में रखे हुये बर्तन गायब मिले व सारे कमरो व आलमारियों के ताले टूटे हुये, सामान बिखरा हुआ मिला जिसके संबंध मे थाना स्थानीय पर मु0अ0सं 0446/2024 धारा 305/324(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया। पकड़ा गया वांछित अभियुक्त उपरोक्त अभियोग में किये गये साक्ष्य संकलन से प्रकाश मे लाया गया है।

गिरफ्तारी का विवरण–

आज दिनांक 12.10.2024 को उ0नि0 राजेन्द्र प्रसाद पटेल मय हमराह द्वारा उपरोक्त मुकदमा से सम्बन्धित अभियुक्त मो0 जाहिद पुत्र मो0 आमिर निवासी डीएवी आवास थाना कोतवाली जनपद आजमगढ उम्र करीब 19 वर्ष को उसके घर से समय करीब 12.10 बजे नियमानुसार हिरासत पुलिस में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

आपराधिक इतिहास–

1. मु0अ0सं0 211/2024 धारा 305/331(4) बीएनएस थाना कंधरापुर आजमगढ़,
2. मु0अ0सं0 469/2024 धारा 303(2)/317(2)/61(2) बीएनएस थाना कोतवाली आजमगढ़
3. मु0अ0सं0 499/2024 धारा 112/317(2)/317(4)/317(5) बीएनएस थाना कोतवाली आजमगढ़
4. मु0अ0सं0 228/2024 धारा 379/411/413 भादवि थाना सिधारी जनपद आजमगढ
5. मु0अ0सं0 259/24 धारा 304(2)/317(2)/317(4) थाना सिधारी जनपद आजमगढ़
6. मु0अ0सं0 310/24 धारा 303(2)/317(2)/317(4) थाना सिधारी जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम– उ0नि0 राजेन्द्र प्रसाद पटेल, हे0कां0 इमरान, कां0 सत्येन्द्र पाठक थाना कोतवाली आजमगढ़

उत्तर प्रदेश पुलिस